सरस्वती प्रसाद, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)
12वॉ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003
दिनांक- 16 जुलाई, 2014

सं०- जे एस(एस एंड सी) आईईसी/2014

विषय:- 2019 तक स्वच्छ भारत-स्वच्छता पर संदेशों को संप्रेषत करने में कंवर्जेंस के लिए आवश्यकता से संबंधित।

प्रिय महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है कि भारत एक बड़ी स्वच्छता की चुनौती का विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामना करता है। एन एस एस ओ 2012 के अनुसार लगभग 40.6% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा है। आपको यह भी विदित होगा कि भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान के रूप में 2019 तक खुले में शौच रहित(ओडीएम) देश बनाने का विशेष प्रयास कर रही है।

ओडीएफ देश बनाने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती शौचालयों के निर्माण एवं उनका उपयोग करने की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए जनसंख्या में व्यावहारिक परिवर्तन ट्रिगरिंग है। भारत में अधिकांश लोग अपने घरों में शौचालय बनाने की आवश्यकता को अभी भी मानने को तैयार नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकार के सभी विभागों द्वारा मिलकर प्रयास, जो ग्रामीण जनसंख्या के साथ इंटरफेयर रखते हैं, करना आवश्यक है।

उदाहरण के लिए, शिक्षा विभाग स्वच्छता के संदेश को फैलाने के लिए अध्यापकों और छात्रों को संवेदनशील बना सकता है। संदेश को स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जा सकता है। छात्रों को इस संदेशों को अपने घरों में ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य वर्करों के माध्यम से इन संदेशों को आगे पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार पंचायती राज विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग इन संदेशों को आगे प्रसारित करने के लिए क्रमश: पीआरआई कार्मिकों और ऑंगनवा ड़ी वर्करों को संवेदनशील बना सकते हैं। सभी विभागों के निम्नतम स्तर पर कार्मिकों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे स्वच्छता पर ग्रामीण जनता को संवेदनशील बनाने का अतिरिक्त प्रयास करें। स्वच्छता पर चार मुख्य संदेश जिन्हें फैलाने की आवश्यकता है, लोगों को शिक्षित एवं प्रोत्साहित करने से संबंधित है, निम्न लिखित है:-

I. शौचालय बनाना एवं उपयोग करना
II. बच्चों के मल का सुरक्षित निस्तारण(व्यवस्था)
III. शौच के बाद, भोजन से पहले और बच्चों के मल के निस्तारण के बाद साबुन से हाथ धोना।
IV. पेयजल का सुरक्षित भंडारण एवं व्यवस्था

आपसे अनुरोध है कि 2019 तक भारत को ओडीएफ बनाने में सहायता करने के लिए सभी स्तरों पर अपने कार्मिकों के माध्यम से स्वच्छता पर संदेशों को फैलाने (प्रचार करने) के लिए सभी विभागों को उचित निर्देश जारी करें।

सादर,

भवदीय
(सरस्वती प्रसाद)

सभी सचिव/प्रशासक
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/सचिव-प्रभारी-ग्रामीण स्वच्छता